2023/112

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री समीराराम रेबारी
निवासी रेबारी का वास चडूवाल
तंवरी तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 21 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.02.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत तंवरी में प्रत्येक गांव अनुसार कितने परिवार निवासरत है एवं कितने परिवारों के पास पट्टेशुदा मकान है एवं जिनके पास पट्टेशुदा मकान नहीं है, उनको पट्टेशुदा आवास देने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए है एवं ग्राम पंचायत तंवरी के प्रत्येक गांव में मवेशियों की कुल संख्या एवं वन्यजीवों की संख्या एवं उनके चारागाह की व्यवस्था के विवरण की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 01.01.2000 से आज तक ग्राम पंचायत तंवरी में जलाशय एवं चारागाह के विकास के लिए किस मद से बजट उठाया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.02.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत तंवरी में प्रत्येक गांव अनुसार कितने परिवार निवासरत है एवं कितने परिवारों के पास पट्टेशुदा मकान है एवं जिनके पास पट्टेशुदा मकान नहीं है, उनको पट्टेशुदा आवास देने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए है एवं ग्राम पंचायत तंवरी के प्रत्येक गांव में मवेशियों की कुल संख्या एवं वन्यजीवों की संख्या एवं उनके चारागाह की व्यवस्था के विवरण की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 01.01.2000 से आज तक ग्राम पंचायत तंवरी में जलाशय एवं चारागाह के विकास के लिए किस मद से बजट उठाया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पीकिंग आदेश [illegible] अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली [illegible] नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2024.01.06 15:53:30 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner